

“राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली” पर पैमाइश हेतु “उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006” की धारा “24” के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन की की दिग्दर्शिका

सर्वप्रथम <http://vaad.up.nic.in> टाइप करके “राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली” के मुख्य पृष्ठ पर जायें।



पैमाइश हेतु “उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006” की धारा “24” के अन्तर्गत आनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें।



आवेदनकर्ता जिस मोबाइल नं० से आवेदन करना चाहता है उसे प्रविष्ट कर ओ० टी०पी० (वन टाइम पासवर्ड)



आवेदनकर्ता प्राप्त ओ० टी०पी०(वन टाइम पासवर्ड) तथा प्रदर्शित कैप्चा प्रविष्ट करके “लागिन करे” बटन पर क्लिक करें।



लागिन करने के उपरान्त आवेदनकर्ता अप्लीकेशन फार्म भरे एवं पेमेन्ट का भुगतान करें।



पेमेन्ट के भुगतान के उपरान्त केस उपजिलाधिकारी को सौंप दिया जायेगा।



उपजिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी(न्यायिक) द्वारा केस तहसीलदार को सौंप दिया जायेगा।



तहसीलदार द्वारा केस राजस्व निरीक्षक को सौंप दिया जायेगा।



राजस्व निरीक्षक पैमाइश की तिथि एवं समय निर्धारित करेगा।



पैमाइश पूर्ण हो जाने के उपरान्त राजस्व निरीक्षक उसकी रिपोर्ट उपजिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी (न्यायिक)को सौंप देगा।



उपजिलाधिकारी अन्तिम रिपोर्ट लागू करेगा।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 के अन्तर्गत सीमा सम्बन्धी विवादों के निस्तारण हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए
[क्लिक करें](#)